

## ब्रोकरों की सूचीबद्धता हेतु सूचना



आईडीबीआई बैंक लिमिटेड  
ट्रेजरी बैंक ऑफिस, मुंबई

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (आईडीबीआई बैंक) वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ट्रेजरी खंड जैसे डेरिवेटिव, ऋण, इक्विटी और विदेशी मुद्रा के कार्य हेतु ब्रोकरों की सूचीबद्धता हेतु आवेदन आमंत्रित करता है।

विस्तृत पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेज़ क्रमशः अनुबंध 'अ' और 'आ' में दिये गए हैं।

जैसा कि यह विज्ञापन नई सूचीबद्धता हेतु आवेदन आमंत्रित करता है, वर्तमान में जो ब्रोकर आईडीबीआई बैंक की सूची में शामिल हैं; उन्हें इस सूचना के आधार पर नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

इच्छुक ब्रोकरों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन 12/12/2025 को शाम 5:00 बजे तक नीचे दिये गए पते पर प्रस्तुत करना होगा।

अधिक जानकारी के लिए आप सहायक महाप्रबंधक, ट्रेजरी, बैंक ऑफिस, आईडीबीआई बैंक से 022-6626 3673/3738/3686, ईमेल: [nostro.tbo@idbi.co.in](mailto:nostro.tbo@idbi.co.in) पर संपर्क कर सकते हैं।

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड  
ट्रेजरी बैंक ऑफिस,  
आईडीबीआई टावर, 17वीं मंजिल, ब-विंग, डब्ल्यू टी सी कॉम्प्लेक्स,  
कफ परेड, कोलाबा  
मुंबई -400005

सभी मुहरबंद लिफाफों के कवर के ऊपर "ब्रोकरों की सूचीबद्धता" लिखकर प्रस्तुत किया जाए।

अनुबंध अ  
ब्रोकरों की समीक्षा और सूचीबद्धता के लिए पात्रता मानदंड

बैंक निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर ट्रेजरी सेगमेंट अर्थात् इक्विटी, विदेशी मुद्रा, ऋण और डेरिवेटिव बाजारों में परिचालन के लिए ब्रोकरों का चयन करेगा।

इक्विटी	विदेशी मुद्रा	ऋण	व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव)
1. एक निगमित इकाई होनी चाहिए	1. भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) की अनुमोदित सूची में होना चाहिए।	1. एक निगमित निकाय होनी चाहिए	1. एफआईएमएम-डीए से मान्यता प्राप्त ब्रोकिंग हाउस होना चाहिए।
2. न्यूनतम निवल मालियत ₹20 करोड़ रुपये होनी चाहिए	2. न्यूनतम निवल मालियत ₹1.50 करोड़ रुपये	2. न्यूनतम निवल मालियत ₹1.50 करोड़ रुपये	-
3. पिछले वित्तीय वर्ष में नकदी सेगमेंट के तहत न्यूनतम ₹500 करोड़ रुपये का कुल कारोबार प्राप्त किया होना चाहिए।	3. पिछले वित्तीय वर्ष में विदेशी मुद्रा बाजार के तहत न्यूनतम ₹500 करोड़ रुपये का कुल कारोबार प्राप्त किया होना चाहिए।	3. पिछले वित्तीय वर्ष में द्वितीयक बाजार के तहत न्यूनतम ₹500 करोड़ रुपये का कुल कारोबार प्राप्त किया होना चाहिए।	-
4. पूंजी बाजार परिचालन में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए	4. विदेशी मुद्रा बाजार में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव	4. बीएसई/एनएसई स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य के रूप में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव	-
-	5. जो ब्रोकर भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, वे पैनल में शामिल होने के लिए पात्र होंगे।		-
5. पिछले दो वर्षों से लाभ कमाने वाली इकाई होनी चाहिए	6. लाभ कमाने वाली इकाई होनी चाहिए	5. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक में लाभ कमाने वाली इकाई होनी चाहिए	-
6. ब्रोकर को आवश्यक रूप से एनएसई/बीएसई का सदस्य होना चाहिए।	7. ऋण/इक्विटी अनुपात आईडीबीआई के आंतरिक नीतियों के अनुसार अनुमोदित	6. ऋण/इक्विटी अनुपात आईडीबीआई के आंतरिक नीतियों के अनुसार	-

	किया जाएगा.	अनुमोदित किया जाएगा.	
7. आवेदक ब्रोकर के बारे में सेबी/स्टॉक एक्सचेंज/अन्य नियामकों से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए और साथ ही बाजार में सुप्रतिष्ठित होना चाहिए.	8. आवेदक ब्रोकर के बारे में आरबीआई/ एफ्रईडीएआई/ एसबीआई से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ ही बाजार में सुप्रतिष्ठित होना चाहिए.	7. आवेदक ब्रोकर के बारे में सेबी/बीएसई/एनएसई से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए और साथ ही बाजार में सुप्रतिष्ठित होना चाहिए.	-

### अनुबंध आ

ब्रोकरों की सूचीबद्धता में शामिल करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सांकेतिक सूची

1. कंपनी, फर्मों और अन्य का संक्षिप्त सारांश - प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा सत्यापित.
2. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ब्रोकर सूचीबद्धता प्रक्रिया हेतु आवेदन करने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं से आवेदन.
3. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए पारित संकल्प और ब्रोकर सूचीबद्धता में भागीदारी के लिए आवेदन की प्रति. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के रूप में व्यक्तियों के पदनाम का उल्लेख विशेष रूप से किया जाना चाहिए. बोर्ड के संकल्प पर कंपनी सचिव अथवा कम से कम 2 निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए.
4. संस्था का पैन कार्ड - प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं/ कंपनी सचिव द्वारा सत्यापित.
5. साझेदारी विलेख कम से कम दो साझेदारों द्वारा वास्तविक प्रति के रूप में प्रमाणित किया गया हो.
6. संस्था का पंजीकरण प्रमाणपत्र. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं/ कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणित.
7. संस्था का पता प्रमाण (स्थायी और संचार) - प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा सत्यापित.
8. साझेदारी विलेख/ पारित संकल्प/ प्राधिकरण पत्र के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति (यों) की केवाईसी (आईडी और पता प्रमाण) की प्रमाणित प्रति.- स्व अभिप्रमाणित.
9. निगमन और प्रारंभ प्रमाण पत्र - प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं / कंपनी सचिव द्वारा सत्यापित.
10. ज्ञापन और संस्था का अनुच्छेद - प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं / कंपनी सचिव द्वारा सत्यापित.
11. निदेशकों/ कंपनी के साझेदार/ साझेदारी फर्म आदि की सूची - प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं/ कंपनी सचिव द्वारा सत्यापित.
12. कंपनी पहचान संख्या (सीआईएन) - प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा सत्यापित.
13. विभिन्न क्षेत्रों के लिए सेबी/ एनएसई/ बीएसई पंजीकरण प्रमाणपत्र - प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं/ कंपनी सचिव द्वारा सत्यापित.
14. एक्सचेंज द्वारा जारी सदस्यता प्रमाणपत्र - प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं / कंपनी सचिव द्वारा सत्यापित.
15. एफईडीएआई / एफआईएमएमडीए आधिकारिक पत्र - प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं/ कंपनी सचिव द्वारा सत्यापित.
16. नवीनतम शेयरधारिता पैटर्न - प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं/ कंपनी सचिव द्वारा सत्यापित.

17. 31/03/2025, 31/03/2024 और 31/03/2023 को लेखा परीक्षित वार्षिक रिपोर्ट - सांविधिक लेखा परीक्षकों/ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सत्यापित.
18. विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा जारी पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए टर्नओवर प्रमाणपत्र - सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापित.
19. 31/03/2025 को लेखापरीक्षित निवल मूल्य प्रमाणपत्र - वैधानिक/ चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित.
20. एक्सचेंजों द्वारा जारी नवीनतम स्थिति रिपोर्ट (अधिमानत: 30/11/2025 या 31/10/2025 लेकिन 01/04/2025 से पहले की नहीं) - कंपनी सचिव द्वारा सत्यापित.
21. ब्रोकर की ओर से घोषणा जिसमें कहा गया हो कि उसके खिलाफ सेबी, एनएसई, बीएसई अथवा किसी अन्य सांविधिक निकाय से कोई चूक / दंडात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है.
22. उन ग्राहकों की सूची जिनके साथ आपका ब्रोकरेज हाउस वर्तमान में सूचीबद्ध है- प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं / कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणित.
23. नोडल अधिकारी का संपर्क विवरण (नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी)- प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा प्रमाणित.
24. प्राधिकृत ब्रोकरेज प्रभार विवरण - प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा प्रमाणित.
25. आईडीबीआई बैंक द्वारा आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज, यदि कोई हो.